

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : गूलीचंपी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3548

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिविनायम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (आ-आ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : के.एस. नर्सिंग महाविद्यालय, गुदगुड़ा का नाका, लक्ष्मण, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. एम.एस. कुशवाह, शासकीय महाविद्यालय, मिहोना
2. डॉ. पुष्पा घर्कुर, विष्णि विभाग, शासकीय महाविद्यालय, अशोकनगर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थी।
- प्राचार्य, के.एस. नर्सिंग महाविद्यालय, गुदगुड़ा का नाका, लक्ष्मण, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सत्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यहीं पूर्ण में पञ्च व्यवहार हुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाए जिससे सविता हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4882

दिनांक: 11/05/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध के एस. नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2401011) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संवालित एम.एस.-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिकार्ता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)

(2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. भ्रत जैन, आचार्य, जी.आर.एम.सी, ग्वालियर।

(4) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. कालेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिलेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की लियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में रपट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त नियांसित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में दी गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, श्रीपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बर्ती करता है तो समिति त्वरतः बिस्तर से जारी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधाविक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्थान अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारेंगे तथा महाविद्यालय की वक्तुनियति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

(4) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. कालेज, ग्वालियर।
बाट- निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है, आर्डिलेन्स के नार्स को सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

3 ames
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबोधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगाह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियांसित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, श्रीपाल का प्राप्त।
- कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

RJ
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के तहम से ही विकास करने व
के लिए अपने व्याविधिकारी के तहम से।
उम्मेदवाल विकास पत्र का यह पूर्ण तैयार
व्यवहार हुआ हो तो यह उम्मेदवाल एवं विभिन्न
अवसर विकास जारी रखता है जिसका होना।



दाता : मुख्यमंत्री
दृष्टान्त : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341788

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

न्यालियर

क्रमांक:एफ/सम्बन्धता/2009/पुरुषी

दिनांक: 01/06/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर से सम्बन्ध के एस. बर्सिंग महाविद्यालय, न्यालियर (0751-2401011) को सन् 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. बर्सिंग पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बन्धता हेतु अनुसंधाने प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर वे विश्वविद्यालय अधिविषयम 1973 के परिविषयम 27(10) के अन्वर्गत विभागुसार विटीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. न्यालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)

(2) डॉ. वीरेन्द्र रम्या, आचार्य, जी.आर. मेडीकल कॉलेज, न्यालियर।

(3) डॉ. जाहारी व्यास, आचार्य, पी.जी. कॉलेज ऑफ बर्सिंग, न्यालियर।

विटीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिविषयम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विटीक्षण कर शुरू, घटेहट दाखि, वाइसिक/असैक्षणिक टॉर्च, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त जनुनिति/अनापतित प्रमाण-पत्र, मरम, छाँटा परिवर्त एवं पाठ्यक्रम/अहिलेज तथा विष्टो सब ने दी गई सतर्कों की पूर्ण मत्र प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्द/सैक्षणिक एवं असैक्षणिक टॉर्च की विद्युतियों का प्रमाण एवं वैतब आदि के बारे ने स्पष्ट विवरण/अनुसंधाने अंकित करें। महाविद्यालय प्रावार्द/अध्यक्ष दूसरा पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विटीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विटीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधिवित समय में विटीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस ने विश्वविद्यालय कार्यालय ने बता करें। विटीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विटीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विटीक्षण ने की गई देशी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। विटीक्षण सूचना आनुसार, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जाएगी। यह महाविद्यालय 03 माह में विटीक्षण वही करता है तो समिति त्वरा विटीक्षण हो जाएगी और पुक्का विटीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड रुपरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। उत्पन्नत ही विटीक्षण समिति का पुर्वगति विकास जारी। परिविषयम 27(11)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए विकास छात्रों को प्रवेश देना अवश्यक है।

विटीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शाला में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय लहावक प्राचाली लेकर जारीगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति ते विटीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विटीक्षण समिति के सदस्यों को ली.ए. / ली.ए. / मास्टर्स गत्वाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3mm/3
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समर्पण सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्द/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विटीक्षण दिनांक विधिवित कर महाविद्यालय का विटीक्षण करावें। उक्त विटीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आनुसार उच्च शिक्षा, सतपुड़ा मरम, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर
5. कुलपति के उचित / कुलसचिव के लिए गहानक, तीव्राती विश्वविद्यालय, न्यालियर

JKM
उप-कुलसचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र ब्लैब्लर कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जावे न
कि किसी अन्य प्राप्तिकारी के नाम से।
उम्मीदित दिवाय पर यह पूर्ण ही पत्र
ब्लैब्लर हुआ है तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे किसीसे संतुष्टा हो।



नाम : श्रीवीरसेठी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5295

दिनांक: 26/09/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध कौए. वरिष्ठ महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2401011) को सन् 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोर्ट बोर्ड की एस-सी. बरिष्ठ महाविद्यालय कक्षा-पाठ्यक्रमोंविषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्ए प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपाति महोदय/एवं दो समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्तन निम्नानुभार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वी.सी. ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442828)
- (2) प्रो. जी.वी.के.एस. प्रसाद, आर्थ, बायोकेमिस्ट्री अध्ययनशाला, जी.वी.सी. ग्वालियर।
- (3) श्रीमती सुखदा शर्मा, प्राचार्य, बी.आई.एम.आर. कालेज, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्राप्ततावे के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर थुक्क, धरेहर शाशे, यांचित्र शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुगति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, ग्रन्थालय एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेट सत्यापिता ग्रन्थालय/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विरुद्धिताओं का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में रपट विवरण/अनुशंसार्ए अंकित हो। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से रपटक स्थापित होने विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विरीक्षण समय ने विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय प्राचार्यलय ने जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन दिना करने का उत्तरायित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देरी के लिए भावाविद्यालय रवयं उत्तरायी होगा। विलक्षी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की भेज दी जावेगी। यदि गहाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति ख्वः विस्तर से समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिवियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देता अपेक्षित है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता साक्षा में कार्यात् अधीक्षण / कार्यालय नंदायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति ले विरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों एवं डी.ए. डी.ए. मालदेव महाविद्यालय द्वारा देय होंगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संचालित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क रखापित कर विरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सलपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


राजीव कुलसचिव (सम्बद्धता)